

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 14.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-29 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कर्ताराम पुत्र इन्दर नि० सेनुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-46/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संजय कुमार पुत्र त्रिलोकी नाथ नि० वीरपुर थाना खरगपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-44/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रमपत सोनकर पुत्र आउल सोनकर नि० बढई पुरवा मौजा गौरवा कानूनगों थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-24/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अशोक कुमार पाण्डेय पुत्र ओम प्रकाश नि० कादीपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-69/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. परदेशी पुत्र स्व० भदई नि० समेराशेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-50/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भगवान दास पुत्र लाल जी वर्मा नि0 बेलसर रोड़ दुल्लापुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—114/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामधनी पुत्र राम चरन नि0 बकरौली थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—54/21, 02. राजन पुत्र महेश निषाद नि0 छपिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—55/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम करन वर्मा पुत्र रामफेर नि0 बेचू पुरवा मलारी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—67/21, 02. गुड्डन पुत्र बुद्धराम नि0 सराय बाजार थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—68/21, 03. राजा राम पुत्र दीपक नि0 बेतिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—70/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

मारपीट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र छेदीराम नि0 परसिया गुदर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना **इटियाथोक** में पंजीकृत मु0अ0सं0—47/21, धारा 323.325.504.506.308 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने जमीनी रंजिश के चलते वादी श्री बृजभूषण तिवारी पुत्र कृष्ण मोहन तिवारी नि0 परसिया गुदर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गाली—गुप्ता देते हुए लाठी—डण्डे से मारा—पीटा था, जिससे वादी मौके पर ही बेहोश हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामजियावन पुत्र मोतीलाल नि0 खटिकनपुरवा डुमरियाडीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—51/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 14.02.2021 को थाना वजीरगंज के उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को खटिकन मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 नीरज कुमार सिंह।
02. हे0का0 बलरामधर दुबे।
03. का0 शेखर कुमार।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 14.02.2021

15 पेटी मिलावटी देशी/अंग्रेजी शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अभिजीत पुत्र सुमेरचन्द्र नि0 बाजार गली सिधौली थाना सिधौली जनपद सीतापुर।
02. अनूप कुमार जायसवाल पुत्र मुन्नेलाल नि0 बाबा बाजार मवई अयोध्या।

पंजीकृत अभियोग-

01. 115/20, धारा 60/60ए आबकारी अधि0, 419.420.467.468.471.272 भादवि व 54/64 कॉपीराइट अधि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 15 पेटी भिन्न-भिन्न ब्रांड की 487 बोतल/शीशी मिलावटी देशी/अंग्रेजी शराब।
02. 94 शीशी खाली देशी शराब।
03. शराब बनाने के उपकरण।
04. शराब बनाने में प्रयोग होने वाला कैरोमल कलर व नकली क्यू0आर0 कोड।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 14.02.2021 को थाना को0 नगर के व0उ0नि0 प्रबोध कुमार मय हमराह फोर्स के साथ देखभाल क्षेत्र में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग मीना कम्प्लेक्स के पास स्थित देशी ठेका शराब मालवीय नगर की दुकान के बगल वाले कमरे में कुछ लोग देशी व अंग्रेजी शराब मिलावट करके बना रहे हैं। मुखबिर खास की सूचना पर थाना को0 नगर व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर दबिश देकर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उक्त सामग्री बरामद की

गयी। अभियुक्तगणो से कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया कि यह कमरा उमेश शुक्ला का है जो छात्र नेता है। इसी में हम लोग काफी दिनों से मिलावटी व नकली शराब बनाते थे जिनको उच्च दामों में बेच दिया जाता था। अभियुक्तगणों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. आबकारी निरीक्षक रामकुमार यादव।
02. व0उ0नि0 प्रबोध कुमार।
03. उ0नि0 अंकुर वर्मा।
04. उ0नि0 सुभाष यादव।
05. का0 आदित्य कुमार।
06. का0 योगेन्द्र भारद्वाज।
07. म0आ0 राइना बानों आबकारी विभाग।